



राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की तर्ज पर नवीन पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया जाएगा

अनुसूचित जातियों हेतु उपक्रम पूँजी कोष योजना के अंतर्गत 65 अनुसूचित जाति उद्यमियों के लिये 242.36 करोड़ के ऋण को स्वीकृति

मंत्रालय के निगमों द्वारा चलाए गए कौशल विकास कार्यक्रमों एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत बीते तीन वर्ष में ढाई लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तीन वर्ष की उपलब्धियों पर श्री थावरचंद गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए

Posted On: 30 MAY 2017 11:44AM by PIB Delhi

संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत नवीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा और यह एक संवैधानिक संस्था की तरह कार्य करना शुरू कर देगा, ठीक उसी प्रकार जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A के तहत कार्य करता है। अपने मंत्रालय की तीन वर्ष की उपलब्धियों पर मीडिया से बातचीत करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आज यहां यह बात कही। नये आयोग में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों/ तकलीफों की सुनवाई का कार्य होगा। इस काम के लिए आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी। इसके पास सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर सलाह देने और इन वर्गों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने का अधिकार होगा। मौजूदा आयोग की यह भूमिका नहीं है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रामदास अठावले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव श्रीमती जी. लता कृष्णा राव एवं पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक (मीडिया एवं जनसंचार) श्री ए. पी. फ्रैंक नरोन्हा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

उन्होंने मीडियाकर्मियों को बताया कि अनुसूचित जातियों हेतु उपक्रम पूँजी कोष योजना का लक्ष्य अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहन देना एवं रियायती दरों पर वित्त प्रदान करना है। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि संपत्ति निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। योजना के अंतर्गत 50 लाख से 15 करोड़ तक का उच्च ऋण प्रदान किया जाता है। अब तक अनुसूचित जाति के 65 उद्यमियों को 242.36 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, जिसमें से 118.99 करोड़ का ऋण प्रदान किया जा चुका है।

मंत्री महोदय ने बताया कि मंत्रालय के तीन निगमों- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम- द्वारा कौशल प्रशिक्षण का बीड़ा उठाया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों में यानी 2014-15 से 2015-16 के मध्य मंत्रालय के निगमों द्वारा चलाए गए कौशल विकास कार्यक्रमों एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत ढाई लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इन लाभार्थियों में से 48.42% ने स्वरोजगार प्राप्त किया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने डीबीटी के तहत छात्रों को सीधा लाभ पहुंचाते हुए 3.45 करोड़ छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जारी की है। तीन वर्ष में 18000 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।

उन्होंने कहा कि डॉक्टर आंबेडकर से सम्बंधित पांच स्थान जैसे महु स्थित जनम भूमि, शिक्षा भूमि 10 किंग हेनरी रोड लन्दन, नागपुर स्थित दीक्षा भूमि, मुम्बई की चैत्य भूमि, 26 अलीपुर रोड नयी दिल्ली स्थित परिनिर्वाण भूमि को भारत सरकार ने 'पंचतीर्थ' घोषित कर दिया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के डॉक्टर आंबेडकर फाउंडेशन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां आम्बेडकर ने पढ़ाई की थी, में 100 छात्रों को अध्ययन-भ्रमण पर भेजा।

मंत्री महोदय ने बताया कि भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया है। मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों ने इस अवसर पर देश भर और विदेशों में स्थित भारतीय उच्चायोगों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। यह निर्धारित किया गया कि डॉक्टर आंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया।

अंतर्राज्यीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण की डॉक्टर आंबेडकर योजना से पिछले तीन साल में 126 जोड़ों को फायदा मिला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों की ओवरसीज़ छात्रवृत्ति विदेशों में उच्चतर अध्ययन के लिए 60 से बढ़ाकर 100 कर दी।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना शुरू की है। जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जो आयु संबंधी शारीरिक अक्षमता मसलन कमजोर दृष्टि, बहरापन, दांत टूट जाना, गतिशीलता संबंधी विकारों की ऐसे उपकरणों के माध्यम से मदद करना है जिनसे शारीरिक क्रियाकलाप एक सीमा तक सामान्य हो पाएं।

मंत्री महोदय ने कहा कि दिव्यांगों के सशक्तिकरण संबंधी विभाग ने वर्ष 2016-17 में निम्न चार गिनीज़ विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं:-

पहला रिकॉर्ड नवसारी, गुजरात के 1000 दिव्यांगों के नाम सबसे बड़ी व्हीलचेयर लोगो/इमेज बनाने का है; दूसरा विश्व रिकॉर्ड 600 व्यक्तियों को 8 घंटे में 1200 कान की मशीनें एक ही स्थान नवसारी, गुजरात में लगाकर बनाया है; तीसरा विश्व रिकॉर्ड दिव्यांगजनों द्वारा एक ही स्थान पर सर्वाधिक दीपक जलाकर बनाया गया है; और चौथा गिनीज़ विश्व रिकॉर्ड मणिपुर में ऊंचा सुनने वाले 3911 लोगों पर 8 घंटों में कान की मशीनें फिट कर बना है।

मंत्री महोदय ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की भलाई के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता गैर सरकारी संस्थानों/ स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुसूचित जातियों के सम्पूर्ण विकास एवं सामाजिक-आर्थिक वातावरण के उत्थान हेतु जारी की जाती है। इसके साथ ही मंत्रालय ने जनवरी 2007 में मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत बचे खुचे मैला ढोने वालों एवं उनके आश्रितों के अन्यान्य काम धंधों में प्रस्थापन के लिए की है।

उन्होंने कहा कि मद्यपान और नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजना का उद्देश्य मद्यपान और नशीले पदार्थों के किसी व्यक्ति, उसके परिवार, कार्यस्थल एवं समाज पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक एवं शिक्षित करना है। मंत्रालय के सहयोग से गैर सरकारी संगठनों के जरिये 431 नशीली दवाओं की लत छुड़वाने वाले केंद्र कार्य कर रहे हैं।

जीवाई/एबी/वाईबी-1584



